साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू–अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
{अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन}

एल0ए0 संख्या– 10 / 2021–22 / 638(xi) / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक– 04.9.2021

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–खैरवा, थाना–बरहेट, थाना सं0–01, अंचल–बरहेट, जिला–साहेबगंज** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **शिवगादी–सनमनी मोड़–डुमरिया सनमनी टेगरा आमडंडा डहुजोर पथ निर्माण** परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–खैरवा, थाना–बरहेट, थाना सं0–01, अंचल–बरहेट, जिला–साहेबगंज** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.126** एकड़ मानक माप का भूखण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नालिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता संख्या	सर्वे भूखण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33	14	रैयती	धानी–3	0.116	चन्द्राय टुडू, पिता–दुला टुडू वगैरह	निज	रास्ता	10	रास्ता
2	68	107	रैयती	बाड़ी–2	0.010	सोनोत मरांडी पिता–सरकार मरांडी वगैरह	रास्ता	108	रास्ता	106
				कुल रकवा–	**0.126**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या–30 / 2013) की धारा–11(1) के उपबन्धों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों .... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय / विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त,
साहेबगंज।